न्यायालय,भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,बेरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1), (ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 405 वर्ष 2022

आवेदक– लोकनाथ महतो
ग्राम – बाँधडीह टोला–गोंठटांड़
थाना – दुग्दा जिला–बोकारो

क्रेता– उत्तम महतो
ग्राम – बाँधडीह टोला–
थाना–दुग्दा जिला–बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03

29/8/23

आदेश

यह वाद आवेदक– लोकनाथ महतो पिता स्व0 हाड़ी राम महतो ग्राम–बाँधडीह, टोला– गोंठटाँड थाना दुग्दा जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
बाँधडीह	111	71	138	11 डी0	11 डी0	कृषि योग्य
		71	436	10 ए0	10 डी0	कृषि योग्य
			कुल योग		21 डी0	(इक्कीस) डीस्मिल

को वे अपनी बिमारी के ईलाज खर्च हेतु मो0 2,00,000/– (दो लाख) रूपये में क्रेता– उत्तम महतो पिता स्व0 रूपलाल महतो निवासी ग्राम–बाँधडीह थाना–दुग्दा जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 368/रा0 दिनांक 21.03.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा के पत्रांक 645 दिनांक 17.08.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वे दोनों ग्राम–बाँधडीह थाना–दुग्दा जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली जमीन खाता न0–71 सर्वे खतियान में बिक्रेता के दादा नान्हु कुरमी के नाम से तथा उसकी जमाबन्दी पिता हाडीराम महतो के नाम से पंजी–II के पृष्ठ संख्या क्रमशः 34/II पर कायम है एवं वर्ष 2019–20 तक लगान रसीद निर्गत है।
03. घरेलु बँटवारा के अनुसार बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, एवं अधिग्रहण क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु जाँच प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता लोकनाथ महतो के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन खाता न0 71 उनका दादा नान्हु कुरमी के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है तथा उसकी जमाबन्दी पिता हाड़ीराम महतो के नाम से चल रही है। बिक्री की जाने वाली

CCI [illegible]
09/10/23

जमीन घरेलु बँटवारा के अनुसार उनके अंश की है जिसे वे आवश्यकता वश बिक्री कर रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन विवादित नहीं है, तथा वर्तमान में उसपर बिक्रेता का शान्ति पूर्ण दखल–कब्जा है।

उभय पक्षों के द्वारां निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया–

01. प्रथम पक्ष– नान्हु कुरमी के नाम सर्वे खतियान एवं हाडीराम महतो वेगै0 के नाम सरकारी लगान रसीद स्वयं के नाम जाति/आवासीय प्रमाण तथा आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– स्वयं के नाम जाति/आवासीय प्रमाण तथा आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही ग्राम थाना एवं जिला के अंतर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के दादा नान्हु कुरमी के नाम से नाम से सर्वे खतियानी जमीन है जिसकी जमाबन्दी हाड़ीराम महतो के नाम से चल रही है। जमीन पर बिक्रेता का दखल कब्जा है।

अतः आवेदक लोकनाथ महतो पिता स्व0 हाड़ी राम महतो ग्राम–बाँधडीह, टोला– गोंठटाँड थाना दुग्दा जिला– बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
बाँधडीह 111	71	138	11 डी0	11 डी0	धनु महतो	डॉ0 कैलाशपति	रति महतो	नीज लेख्यकारी
	71	436	10 डी0	10 डी0	भगलु महतो वेगै0	दयाल महतो	पुरन महतो वेगै0	हीरा महतो वेगै0
	21 डी0 (इक्कीस) डीस्मिल मात्र।							

को मो0 2,14,000/– (दो लाख चौदह हजार) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से उत्तम महतो पिता स्व0 रूपलाल महतो निवासी ग्राम–बाँधडीह थाना–दुग्दा जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.09 11:45:35 +05:30
Location: 192.168.1.3